हमेशा देखें

"आईएस......आर-xxxxxxxxxx (यूनीक 8 डिजीट नम्बर) के अनुरूप स्वतः घोषणा," का अनुपालन ब्यौरा 15 उत्पादों को भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुपालन के आधार पर भामाब्यूरो से पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।









इलैक्ट्रोनिक्स एवं इसके सामान हेतु अनुरूपता की स्वतः घोषणा हेतु पंजीकरण योजना















निम्नलिखित सहित, इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Deity) द्वारा अधिसूचित उत्पादों की 15 श्रेणियों में से सामान्यतः प्रयुक्त उत्पादः

• एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा टीवी एवं दृश्यी डिस्प्ले यूनिट • माइक्रोवेव ओवन • सेट-टॉप बॉक्स • लेपटॉप • नोट बुक, टेबलेट • प्रिंटर/स्कैनर • वायरलेस की बोर्ड • प्रोजेक्टर • सर्वर • स्टोरेज डिवाईज

दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Deity) ने इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामानों (अनिवार्य पंजीकरण अपेक्षायें) आदेश, 2012' अधिसूचित किया है जिसके तहत 15 उत्पादों को भारतीय सुरक्षा मानकों की उनकी अनुरूपता पर आधारित भामाब्यूरों से अनिवार्य पंजीकरण के अंतर्गत रखा गया है। उत्पादों को संबंद्ध मानकों में दर्शाई गई सुरक्षा अपेक्षाओं हेतु भामाब्यूरो अनुमोदित प्रयोगशालाओं में परीक्षित किया जाता है।

पंजीकृत उत्पादों पर केवल उपरोक्त विवरण ही चिन्हित किये जाते हैं तथा उनपर आईएसआई मुहर नहीं रहती हैं।



भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, **9** बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-**110002** टेलीफैक्स : 011-23235069 | ई-मेल : icare@bis.org.in | वेक्साईट : www.bis.org.in



Always Look for

Compliance Statement "Self Declaration, Conforming to IS ______ R-xxxxxxxxx (unique 8 digit number)" 15 products which have been made compulsory for registration with BIS based on the compliance to Indian safety standards





REGISTRATION SCHEME FOR SELF-DECLARATION OF CONFORMITY FOR ELECTRONICS AND IT GOODS















The commonly used products out of 15 categories of products notified by DeitY includes the followings:

LED, LCD, PLASMA TV & VISUAL DISPLAY UNIT
MICROWAVE OVEN
SET TOP BOX
LAPTOP, NOTEBOOK, TABLETS
PRINTERS/SCANNERS
WIRELESS KEYBOARDS
PROJECTOR
SERVER
STORAGE DEVICE

Ministry of Communication & Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (DeitY) has notified "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" under which 15 products have been made compulsory for registration with BIS based on their compliance to Indian safety standards. The products are tested by BIS approved labs for Safety Requirements mentioned in the relevant standard.

The registered products are marked only with above statement and not bearing ISI mark.



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Telefax: 011-23235069 | I e-mail: icare@bis.org.in | Website: www.bis.org.in

